पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित

गव्य विकास की योजनाएं

(वित्तीय वर्ष 2008–09)

(1.) मिनी डेयरी की योजना

1– योजना का उद्देश्य –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लक्षित वर्ग प्रगतिशील, लघु कृषक/ सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/ शिक्षित बेरोजगार युवक द्वारा उन्नत नश्ल के पॉच दूधारु मवेशी की एकइकाई मिनी डेरी स्थापित करना है। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन पूर्व के वर्षो में किया जाता रहा है। यह एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। जिसके सफल संचालन से लक्षित वर्ग के प्रगतिशील लघु कृषक/सीमांत कृषक/ गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक को सीधे लाभ पहुँचाया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन से रोजगार की उपलब्धता के साथ ही उनके आर्थिक एवं समाजिक स्तर में सुधार लाया जायेगा । उन्नत नश्ल के दूधारु मवेशियों के विस्तार के साथ ही राज्य में दुग्ध उत्पादन में निरंतर बृद्धि लाया जा सकेगा ।

2– लाभान्वित का चयन –

इस योजना से लाभ पहुँचाने के लिए वैसे लाभान्वितों का चयन किया जायेगा जो प्रस्तावित/गठित एवं कार्यरत दुग्ध समिति के सदस्य हो जिनके पास हरा चारा उगाने के लिए अपना जमीन एवं सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो। लाभान्वितों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि चयनित किसान पशु प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हों अथवा जिन्हें निकट भविष्य में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। लक्षित वर्ग के प्रगतिशील लघु कृषक/सीमांत कृषक/ गरीबी रेखा से नीचे बसर करनेवाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार को लाभान्वितो के चयन में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जायेगा।

3– योजना का क्रियान्वयन–

मिनी डेयरी की स्थापना निर्धारित इकाई मूल्य पर बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लाभान्वितों को अनुदान के रुप में सीड मनी, पशु बीमा, परिवहन व्यय, प्राथमिक उपचार से संबंधित दवा तथा दुग्ध बर्द्धक पौष्टिक दवा, दुधारु मवेशी के लिए एक सप्ताह का चारा तथा आरम्भिक अवस्था में मवेशी के खाने एवं बॉधने के लिए नाद एवं सीकड़ बाल्टी उपलब्ध कराये जाने की योजना है। प्रति इकाई मिनी डेरी की स्थापना के लिये अनुमानित लागत व्यय रु0 111450/– है, जिसमें रुपया 90,000/– बैंक द्वारा ऋण के रुप में तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में विभिन्न मदों के लिए

उपलब्ध कराई जाने वाली राशि रुपया 21450/– अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 08–09 के योजना उद्व्यय में इस योजना के लिए कुल रु0 82.00 लाख व्यय करने का प्रस्ताव है। योजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित सम्बन्धित जिला गव्य विकास पदा., दुग्ध संघ के प्रबन्ध–निदेशक तथा डेयरी इकाई के मुख्य कार्यकारी द्वारा किया जायेगा।

इस योजना के लिए आवश्यक राशि रुपया 82.00 लाख का बजट उपबंध बजट शीर्ष ''2404–डेरी विकास–राज्य योजना – 102–डेरी विकास परियोजनाएँ–0101–शीतकरण केन्द्र – 0909 सहायक अनुदान'' अन्तर्गत किया गया है। विभिन्न जिलों में कुल 382 इकाई मिनी डेयरी स्थापित करने के लिए अनुमानित व्यय कुल रुपया रुपया 81.939लाख (रु. एकासी लाख तिरानवें हजार नौ सौ मात्र) मात्र व्यय किये जाने की योजना है।

4 योजना की वित्तीय रूप रेखा

क) पूँजीगत व्यय

कमांक	मद का नाम	अनुमानित व्यय(रु0)
1	संकर नश्ल की 5 दूधारु गाय (एक इकाई)– प्रति गाय रुपये 18000/– की दर से (प्रति वियान 3000 ली. दूध देने की क्षमता)	90000
2	पशु परिवहन व्यय– राज्य के अन्दर स्थायी मान्यता प्राप्त हाट/मेला/सीमावर्त्ती राज्य से लाभान्वित के गॉव तक लाने में प्रति मवेशी रु. 800/– की दर से	4000
3	साज–सज्जा एवं उपकरण (नाद, बालटी, सीकड़ आदि)प्रति इकाई रुपये 1200/– की दर से	1200
4	**आवर्त्तक व्यय** **i.** पशुबीमा– मास्टर पॉलिसी के तहत क्रय मूल्य का 5 प्रतिशत की दर से **ii.** सीड मनी– क्रय मूल्य का 10 प्रतिशत **iii.** पशु औषधी – प्राथमिक उपचार एवं दुग्ध बर्द्धक दवा प्रति मवेशी रुपये 200/– की दर से **v.** दूधारु मवेशी के लिये चारा– एक सप्ताह के लिये प्रति रु0 250/– की दर से	4500 9000 1000 1750
	योग– प्रति इकाई रुपये	1,11,450/–

ख) पूँजीगत व्यय का श्रोत :

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित राशि(रु0)
1	बैंक द्वारा ऋण के माध्यम से 5 संकर नश्ल के दूधारु गाय (एक इकाई) के क्रय के लिये प्रत्येक लाभान्वित को उपलब्ध कराया जायेगा	90000
2	राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रुप में प्रति इकाई की स्थापना हेतु प्रत्येक लाभान्वित को उपलब्ध कराया जायेगा	21450
	योग– प्रति इकाई रुपये	111450 / –

5 राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभान्वित को प्रति इकाई दी जाने वाली अनुदान राशि की विवरणी

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित राशि(रु0)
1	सीड मनी– (क्रय मूल्य का 10 प्रतिशत) 5 संकर नश्ल की गाय (एक इकाई) का क्रय मूल्य प्रति मवेशी रुपये 18000 / – का 10 प्रतिशत 5 X18000 / – X10 प्रतिशत	9000
2	परिहवन व्यय– 5 संकर नश्ल की गाय को राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त हाट, मेला, सीमावर्त्ती राज्य से लाभान्वित के गॉव तक लाने में प्रति मवेशी रुपया 800 / – की दर से 5X800 / –	4000
3	पशु बीमा– मास्टर पौलीसी के तहत क्रय मूल्य का 5 प्रतिशत 5 X8000 / –X5 प्रतिशत	4500
4	पशु औषधी–प्राथमिक उपचार एवं दुग्ध बर्द्धक दवाओं के लिये प्रति मवेशी रु0 200 / – की दर से 5X200 / –	1000
5	मवेशी के लिये चारा– एक सप्ताह के लिये प्रति इकाई प्रति दिन रु0 250 / – की दर से 7X250 / –	1750
6	सज–सज्जा एवं उपकरण– नाद, बालटी, सीकड़ आदि प्रति इकाई रु0 1200 / – की दर से 1X1200 / –	1200
	योग– अनुदान प्रति इकाई रु0	21450 / –

6 जिलावार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य(इकाई की संख्या)
1	नवादा	11
2	लखीसराय	11
3	मधेपुरा	11
4	सुपौल	11
5	छपरा	11
6	सिवान	11
7	जमुई	11
8	शेखपुरा	11
9	अरवल	7
10	बॉका	11
11	पटना	11
12	नालन्दा	11
13	मुजफफरपुर	11
14	वैशाली	11
15	बेगुसराय	11
16	दरभंगा	11
17	सीतामढी	11
18	समस्तीपुर	11
19	शिवहर	7
20	गोपालगंज	11
21	भोजपुर	11
22	बक्सर	8
23	कैमूर	7
24	रोहतास	8
25	औरंगाबाद	11
26	गया	11
27	जहानाबाद	11
28	भागलपुर	11
29	मुंगेर	8
30	खगड़िया	8
31	सहरसा	7
32	पूर्णियॉ	11
33	अररिया	7
34	कटिहार	11
35	किशनगंज	7
36	मधुबनी	11
37	पश्चिम चम्पारण	11
38	पूर्वी चम्पारण	11
	योग	382

****

(2.) दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के गठन की योजना

1 –योजना का उद्देश्य–

दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन कर ग्रामीण क्षेत्रा के दुग्ध उत्पादक, गव्य व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को उॅचा उठायेंगे

2– योजना का क्रियान्वयन–

समितियों का गठन कलस्टर रुप में संबंधित दुग्ध संध/डेयरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से आपसी सहमति के पश्चात् चिन्हित मिल्क रुट पर किया जायेगा तथा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अवस्थित ग्रामों में सर्वेक्षण के पश्चात् किया जायेगा तथा इसका प्रारंम्भ दुग्ध भीतक केन्द्र/डेयरी प्लॉट के निकटवर्त्ती ग्रामों से किया जायेगा। दुग्ध उत्पादन की उपलब्धता एवं संभावना को देखते हुए समिति का गठन संबंधित जिला गव्य विकास कार्यालय अथवा दुग्ध संध के माध्यम से किया जायेगा समिति गठन के प्श्चात प्रत्येक समिति को रु0 20000/– के अनुमानित लागत व्यय पर 4 एस0एस0 मिल्क कैन, एक सेट दुग्ध जॉच उपकरण तथा एक सेट रजिस्टर एवं उपस्कर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा । विशेष अंगीभूत योजना अन्तर्गत समिति के गठन के समय वैसे ग्राम का चयन किया जायेगा जहाँ पर समिति में सदस्यों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हों।

इस योजना अन्तर्गत सामग्रियों एवं उपकरणों का कय किया जाना है। जिला स्तर पर कय समिति गठित नहीं रहने के कारण जिला गव्य विकास पदा0 द्वारा उपकरणो/सामग्रियों का कय विभाग या कम्फेड/दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर अथवा अपने जिला के भौतिक रुप से सम्बद्ध दुग्ध संध/डेयरी इकाई के माध्यम से किया जायेगा ।

3– वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य–

वर्ष 08–09 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के आधार पर सामान्य योजना अन्तर्गत रु0 26.00 लाख के लागत पर 130 समिति तथा बि0अं0योजना अनतर्गत रु0 16.00 लाख के लागत पर 80 समिति के गठन का लक्ष्य निर्धारित है।

4 वित्तीय रूप रेखा

क्रमांक	मद का नाम	समिति की संख्या	अनुमानित राशि (रु0)
1	प्रत्येक समिति में 40 लीटर क्षमता का 4 एस0एस0 मिल्क कैन , प्रति मिल्क कैन रु0 3200/– की दर से – 4 X 3200	130	12800
2	प्रत्येक समिति में दुध जॉच उपकरण उपलब्ध कराने के लिये प्रति सेट रु0 5800/– की दर से		5800
3	प्रत्येक समिति में रजिस्टर एवं उपस्कर उपलब्ध कराने के लिये प्रति सेट रु0 1400/– की दर से		1400
	योग		20000 (रुपये बीस हजार)

5 भौतिक लक्ष्य का निर्धारण

क्रमांक	जिला का नाम	सामान्य योजना	बि0 अं0योजना
1	छपरा	8	5
2	लखीसराय	6	4
3	नवादा	6	4
4	सीवान	6	4
5	शेखपुरा	5	3
6	जमूई	6	3
7	बॉका	8	4
8	सुपौल	5	3
9	मधेपुरा	5	3
10	अरवल	5	3
11	पटना	7	8
12	नालन्दा	10	6
13	पूणियॉ	8	5
14	कटिहार	8	5
15	मधुबनी	7	1
16	किशनगंज	6	4
17	अररिया	6	4
18	औरंगाबाद	4	2
19	मुंगेर	5	4
20	गेपालगंज	4	2
21	सीतामढ़ी	5	3
	योग–	130	80

****

(3) कैटल ब्रीडिंग इकाई की स्थापना

1 –योजना का उद्देश्य–

राज्य के प्रगतिशील कृषकों के माध्यम से कैटल ब्रीडिंग इकाई स्थापित कर उन्नत नश्ल के दूधारु मवेशी की संख्या में बृद्धि लाना है। जिला अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिनन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वितों को उन्न नश्ल के दूधारु मवेशी उपलब्ध कराना है। साथ ही दूध उत्पादन में बृद्धि भी लाना है।

2– योजना का क्रियान्वयन–

जिला के प्रगतिशील किसानों/सदस्यों का चयन कर दूध उत्पादक के रुप में दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों से सम्बद्ध किया जायेगा। वैसे कृषक का चयन किया जायेगा, जिनके पास कम–से–कम 2 एकड़ जमीन हरा चारा के लिये उपलब्ध हो ताकि फसल चक्र अपनाकर सालों भर हरा चारा उपलब्ध कराया जा सके ।

प्रत्येक लाभान्वित को 5 संकर नश्ल की गाय बछड़ा के साथ तथा 5 गाभीन बाछियॉ जो 60–75 दिनों में वियाने वाली होगी, उपलबध कराया जायेगा । प्रत्येक लाभान्वित को पशु उपचार तथा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा मुहैया कराया जायेगा ।

ब्रीडिंग इकाई स्थापित होने से न केवल उन्नत नश्ल के मवेशी की संख्या में बृद्धि होगी, बल्कि दूध उत्पादन को भी भविष्य में मॉग के अनुरुप बढ़ाया जा सकेगा ।

एक इकाई ब्रीडिंग की स्थापना पर लगभग रुपये 400000 लाख का व्यय अनुमानित है, जिसका 10 प्रतिशत लाभान्वित द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा, 20 प्रतिशत यानी रु0 80000 हजार अधिकत्तम विभागीय अनुदान के रुप में प्रत्येक लाभान्वित को उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष राशि यानी 70 प्रतिशत कर्णाकित मदों में व्यय हेतु बैंक ऋण के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा ।

3– वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य–

वर्ष 08–09 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के आधार पर रुपया 40.00 लाख की लागत पर 50 ब्रीडिंग इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है। राज्य के प्रत्येक जिले में यह योजना क्रियान्ववित की जायेगी।

4 लाभान्वितों का चयन –

प्रत्येक जिला में 5 प्रगतिशील कृषकों का चयन कर उनका निबंधन मान्यता प्राप्त प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों के रुप में दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जायेगा। चयनित किसानों के पास कम से कम 2 एकड़ भूमि सिचाई व्यवस्था के साथ उपलब्ध होगी तथा वैसी कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के कार्यक्षेत्र में होगा जिसमें कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी अथवा उक्त सुविधाएँ उन्हें मुहैया करायी जायेगी।

5 कार्यक्रम की रुप रेखा–

चयन किये गये लाभान्वितों को 5 शंकर नस्ल की गायें बाछी के साथ, 5 शंकर नस्ल की गाभिन वाछियाँ, जो 60 – 75 दिनों में व्याने वाली है, उपलब्ध करायी जायेगी। किसानों को पशु चिकित्सा एव कृत्रिम प्रजनन की सुविधा ग्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध होगी। शंकर नश्ल के बछडों की बिक्री 6 माह की उम में अथवा उसके पहले कर दी जायेगी। जबकि वाछियों को फार्म पर तब तक पाला जायेगा जब तक वे गाभीन न हो जाय। लगभग 6 माह की गाभिन अवस्था में इसकी विक्री शाख योजना के अन्तर्गत दूसरे लाभान्वितों के बीच किया जायेगा।

यह अनुमान किया गया है कि कम से कम पाँच एकड़ भूमि वाले प्रगतिशील किसानों के पास सूखा चारा (पुआल, गेंहू का भूसा) भरपूर मात्र में उपलब्ध होगा तथा कम से कम दो एकड़ भूमि हरा चारा की खेती के लिए उपलब्ध होगी तथा ऐसे फसल चक्र को अपनाया जायेगा, जिससे सालो भर हारा चारा फार्म के लिए उपलब्ध होता रहेगा।

6 आधारभूत मान्यताएँ ः–

(i) हरा चारा का उत्पादन 500 क्वींटल/ एकड़

(ii) सूखा चारा 35 क्वींटल/ एकड़।

(iii) अतिरिक्त हरे चारे की बिक्री – रु0 200/–प्रति क्वींटल

(iv) हरे चारे की खेती में रासायनिक खाद के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर फार्म यार्ड मैन्योर या कम्पोस्ट का उपयोग किया जायेगा।

(v) शंकर नश्ल की गाय वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3000 लीटर दूध देगी।

(vi) प्रारम्भ में क्रय की गई गाभिन वाछियों का वियान 60–75 दिनों के अन्दर होगी।

(vii) शंकर नश्ल की गायों में दों व्यानों के बीच की अवधि 400 दिनों की होगी जिसमें 300 दिन दूध में तथा शेष 100 दिन सूखी रहेगी।

(viii) काफ मार्टलीटी 20% माना जायेगा।

7 योजना का आर्थिक रुप रेखा –

(क) अनावर्त्ती व्यय(Non-recurring Expenditure)

1) **असैनिक निर्माण कार्य**

(i) 10 गाय के लिए शेड निर्माण –

25′ X 20′ के साथ 24′′ चौडा फीडींग मेन्जर
का निर्माण । सतह कन्क्रीट तथा छत एसवेस्टस
का प्रति वर्ग फीट रु0 150/–के दर से 25 X 20 X 150 75000.000

(ii) बछडा के लिए शेड निर्माण –

20′ X 18′ के साथ 24′′ चौडा फीडींग मेन्जर
का निर्माण । सतह कन्क्रीट तथा छत एसवेस्टस
का प्रति वर्ग फीट रु0 150/–के दर से 20 X 18 X 150 54000.000

(iii) भंडार –सह–कार्यालय निर्माण –

16' X 12' साईज का निर्माण

प्रति वर्ग फीट रु0 200/–के दर से 16 X 12 X 200 18000.000

(iv) बच्चा देने के लिए वार्ड का निर्माण –

15' X 10' साईज का निर्माण कार्य

प्रति वर्ग फीट रु0 150/–के दर से 15 X 10 X 150 22500.000

169500.00

2) दुधारु मवेशी का क्रय–

(i) शंकर नश्ल की 10 मवेशी का क्रय प्रति मवेशी अनुमानित

लागत व्यय रु0 18000/– के दर से 10 X 18000 180000.00

(ii) पशु बीमा / 5 %

180000 X 5% 9000.00

(iii) पशु परिवहन / 1000/-

10 X 1000 10000.00

199000.00

3) उपकरण–

(i) 40 लीटर क्षमता का दो मिल्क कैन /3500 – 2X 3500 7000.00

(ii) कुट्टी काटने की मशीन एवं मिल्किंग पेल, बाल्टी, दुग्ध

मापक सेट इत्यादि 10000.00

योग – 17000.00

योग – 1+2+3 रु0385500.00

(ख) आवर्त्ती व्यय (recurring Expenditure) कार्यकारी पूंजी के रुप में चारा, मजदूरी, दवा एवं विविध व्यय् के लिए – 15000.00

कुल योग – क +ख = 4,00,500.00

उपर्युक्त आकलित राशि में प्रति लाभान्वित योजना लागत का 20% (अधिकतम रु0 80.000) अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष राशि बैंक के माध्यम से ऋण के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा।

****

(4.) गव्य विज्ञान में कार्मिक प्रशिक्षण की योजना

1 –योजना का उद्देश्य–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रगति ील कृशक/दुग्ध समिति के सदस्यों /सचिवों को गव्य विज्ञान में तथा कार्यकर्त्ता को कृत्रिम गर्भाधान कार्य से सम्बन्धित प्रशिक्षित कर गव्य विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। जिससे राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकें तथा दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें।

2– लाभान्वितों का चयन –

लाभान्वितों का चयन सम्बन्धित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा अपने जिला से भौतिक रूप से सम्बद्ध किये गये दुग्ध संघ/ डेरी इकाई से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।

निम्नांकित कार्यक्रमों के लिए लाभान्वितों का चयन निम्नवत् होगा।

(i) राज्य के प्रगतिशील कृशकों को पशु स्वास्थ्य एवं प्रबंधन में वैसे कृशकों को चयनित किया जायेगा जिन्हें विभागीय मिनी डेयरी योजना अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाना है।

(ii) दुग्ध समिति के सचिवों को प्रशिक्षण योजना के तहत वैसे समितियों का चयन किया जायेगा जो चालू वित्तीय वर्श में गठित की गई हो एवं जहाँ से दुध संग्रहण कार्य आरम्भ किया गया हो।

(iii) कृत्रिम प्रजनन में प्रशिक्षण के लिए दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के वैसे कार्यकर्त्ता को चयनित किया जायेगा जो शिक्षित बेरोजगार हो।

(iv) समिति के सदस्यों को अध्ययन भ्रमण के लिए लाभान्वितों के चयन में चालू वित्तीय वर्श में गठित समिति को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) विशेश अंगीभूत योजना अन्तर्गत कर्णांकित राशि से केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

3– योजना का क्रियान्वयन–

योजना का क्रियान्वयन निम्नवत् किया जायेगा।

(i) राज्य के प्रगति ील कृशकों को पशु स्वास्थ्य एवं प्रबंधन में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण पटना स्थित डी0एन0एस0, सहकारी प्रबंधन संस्थान में दिलाया जायेगा।

(ii) दुग्ध समिति के सचिवों को 26 दिवसीय प्रशिक्षण योजना के तहत 150 किसानों को 30 किसान प्रति बैच के दर से पाँच बैच में कम्फेड स्थित प्रशिक्षण संस्थान, पटना तथा 60 किसानों को दो बैच में डी0एन0 एस0 प्रबंधन शिक्षण संस्थान, पटना में कराया जायेगा। इस

प्रकार कुल 210 नव गठित समिति के सचिवों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iii) कृत्रिम प्रजनन में 40 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के 24 अनुसूचित जाति के कार्यक्रत्ता तथा 16 सामान्य जाति के कार्यकर्त्ता को कम्फेड स्थित प्रशिक्षण केन्द्र पटना में प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iv) समिति के सदस्यों को 5 दिवसीय अध्ययन भ्रमण के लिए कुल 330 सदस्यों 30 सदस्य प्रति बैच के दर से कुल 11 बैच में राज्य से बाहर स्थित एन0डी0 आर0 आई0 करनाल (हरियाणा) भेजा जायेगा।

4– वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य–

वर्ष 08–09 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के आधार पर सामान्य योजना अन्तर्गत रु0 25.7775 लाख के लागत पर 900 सदस्य तथा बि0अं0योजना अनतर्गत रु0 3.97 लाख के लागत पर 60 सदस्यों को प्रि ाक्षित करने का लक्ष्य है।

5 (क) सामान्य योजना अन्तर्गत वित्तीय रूप रेखा

क्रमांक	मद का नाम	भौतिक लक्ष्य	अनुमानित राशि (रु0)
1	**कम्फेड स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित प्रशिक्षण**	16	
(i)	दुग्ध समिति के 16 कार्यकर्त्ता को कृत्रिम गर्भाधान से सम्बन्धित प्रशिक्षण (40 दिन का) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भुल्क खाने, ठहरने इत्यादि मदों में प्रति सदस्य रु0 8000 की दर से – 8000 X 16 = 128000		
(ii)	कुल 16 सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थान तक आने एवं जाने का भाड़ा प्रति सदस्य रु0 300 की दर से – 300 X 16 = 4800		
	योग – (i) + (ii)		132800

2 (i) (ii)	**कम्फेड स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में दुग्ध समिति के सचिवों का प्रशिक्षण** दुग्ध समिति के कुल 112 सचिवों को प्रशिक्षण (26 दिन) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क खाने, ठहरने इत्यादि मदों में प्रति सदस्य रु0 5200/– की दर से – 5200 X 112 = 582400 कुल 112 सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थान तक आने एवं जाने का भाड़ा प्रति सदस्य रु0 300 की दर से–300X112 = 33600 योग – (i) + (ii)	112	616000
3 (i) (ii)	**पटना स्थित डी0 एन0 एस0 सहकारी प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण** दुग्ध समिति के कुल 60 सचिवों को प्रशिक्षण (26 दिन) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क खाने, ठहरने इत्यादि मदों में प्रति सदस्य रु0 5200/– की दर से – 5200 X 60 = 312000 कुल 60 सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थान तक आने एवं जाने का भाड़ा प्रति सदस्य रु0 300 की दर से – 300 X 60 = 18000 अर्थात कुल 330000/– योग – (i) + (ii)	60	330000
4	**पटना स्थित डी0 एन0 एस0 सहकारी प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण** दुग्ध समिति के कुल 382 प्रगति ील कृशकों जो मिनी डेरी योजना से लाभान्वित होने वाले है का प्रशिक्षण (5 दिन) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क खाने, ठहरने, आने–जाने का भाड़ा इत्यादि मदों में प्रति सदस्य रु0 1500/– की दर से – 1500 X 382 = 573000	382	573000

5	**एन0 डी0 आर0 आई0 करनाल (हरियाणा) में अध्ययन भ्रमण से सम्बन्धित प्रशिक्षण ।**	330	
(i)	दुग्ध समिति के कुल 330 सदस्यो को वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग में जानकारी एवं अभिरूची प्राप्त करने के लिए पाँच दिवसीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के लिए राज्य से बाहर स्थित प्रशिक्षण संस्थान करनाल (हरियाणा) जाने के लिए प्रति सदस्य प्रशिक्षण शुल्क खाने, ठहरने इत्यादि मदों में प्रति बैच (30 सदस्य) रु0 43650/– की दर से– कुल 11 बैच के लिए– 43650X11 = 480150		
(ii)	कुल 330 सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थान तक आने एवं जाने का भाड़ा प्रति सदस्य रु0 1000 की दर से – 1000 X 330 = 330000		
(iii)	330 सदस्यों को राज्य से बाहर जाने एवं आने के लिए कुल चार दिनों का दैनिक भत्ता प्रति सदस्य रु0 75/– की दर से – 75 X 4 X 330 = 99000		
(iv)	आकस्मिक व्यय् प्रति सदस्य रु0 50 की दर से – 50 X 330 = 16500		
	योग – (i) + (ii)+(iii) +(iv)		925650

कुल योग – 1 +2+3+4+5

= 132800+616000+330000+573000+925650

= 2577450 (रुपये पच्चीस लाख सतहत्तर हजार चार सौ पच्चास)

(ख) विशेष अंगीभूत योजना के लिए वित्तीय रूप रेखा

कमांक	मद का नाम	भौतिक लक्ष्य	अनुमानित राशि (रु0)
1	**कम्फेड स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित प्रशिक्षण**	24	
(i)	दुग्ध समिति के 24 कार्यकर्त्ता को कृत्रिम गर्भाधान से सम्बन्धित प्रशिक्षण (40 दिन का) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क खाने, ठहरने इत्यादि मदों में प्रति सदस्य रु0 8000 की दर से – 8000 X 24 = 1920000		
(ii)	कुल 24 सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थान तक आने एवं जाने का भाड़ा प्रति सदस्य रु0 300 की दर से – 300 X 24 = 7200		
	योग – (i) + (ii)		199700

2 (i) (ii)	**कम्फेड स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में दुग्ध समिति के सचिवों का प्रशिक्षण** दुग्ध समिति के कुल 36 सचिवों को प्रशिक्षण (26 दिन) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क खाने, ठहरने इत्यादि मदों में प्रति सदस्य रु0 5200/– की दर से – 5200 X 36 = 187200 कुल 36 सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थान तक आने एवं जाने का भाड़ा प्रति सदस्य रु0 300 की दर से–300X36 = 10800 योग – (i) + (ii)	36	198000

कुल योग – 1 +2

= 199200+198000

= 397000 (रुपये तीन लाख सनतान्वें हजार)मात्र।

6 (क) भौतिक लक्ष्य का निर्धारण (सामान्य योजना)

(क) कम्फेड बिहार पटना स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित प्रशिक्षण

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सदस्यों की संख्या)
1	वैशाली	3
2	खगड़िया	3
3	सीतामढ़ी	2
4	भोजपुर	3
5	बक्सर	3
6	भागलपुर	2
	योग –	16

(ख) कम्फेड बिहार पटना स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में समिति के सचिवों का प्रशिक्षण

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सदस्यों की संख्या)
1	छपरा	8
2	लखीसराय	6
3	नवादा	6
4	सीवान	6
5	शेखपुरा	5
6	जमुई	6
7	बाँका	8
8	सुपौल	5
9	मधेपुरा	5

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सदस्यों की संख्या)
10	अरवल	5
11	पटना	7
12	नालंदा	10
13	पूर्णियाँ	8
14	कटिहार	8
15	मधुबनी	7
16	किशनगंज	6
17	अररिया	6
	योग –	**112**

(ग) डी0एन0एस0 प्रबंध संस्थान, पटना में समिति के सचिवों का प्रशिक्षण

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सदस्यों की संख्या)
1	औरंगाबाद	4
2	मुंगेर	9
3	गोपालगंज	6
4	सीतामढ़ी	8
5	पटना	8
6	नालंदा	6
7	पूर्णियाँ	5
8	कटिहार	5
9	मधुबनी	1
10	किशनगंज	4
11	अररिया	4
	योग	60

(घ) डी0 एन0 एस0 प्रबंध संस्थान, पटना में मिनी डेरी योजना अन्तर्गत फार्म प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण –

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य(सदस्यों की संख्या)
1	नवादा	11
2	लखीसराय	11
3	मधेपुरा	11
4	सुपौल	11
5	छपरा	11
6	सिवान	11

7	जमुई	11
8	शेखपुरा	11
9	अरवल	7
10	बॉका	11
11	पटना	11
12	नालन्दा	11
13	मुजफफरपुर	11
14	वैशाली	11
15	बेगुसराय	11
16	दरभंगा	11
17	सीतामढी	11
18	समस्तीपुर	11
19	शिवहर	7
20	गोपालगंज	11
21	भोजपुर	11
22	बक्सर	8
23	कैमूर	7
24	रोहतास	8
25	औरंगाबाद	11
26	गया	11
27	जहानाबाद	11
28	भागलपुर	11
29	मुंगेर	8
30	खगड़िया	8
31	सहरसा	7
32	पूर्णियॉ	11
33	अररिया	7
34	कटिहार	11
35	किशनगंज	7
36	मधुबनी	11
37	पश्चिम चम्पारण	11
38	पूर्वी चम्पारण	11
	योग	382

(ङ) एन0डी0 आर0 आई करनाल(हरियाणा) किसानों का अध्ययन भ्रमण से सम्बन्धित प्रशिक्षण –

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सदस्यों की संख्या)
1	छपरा	30
2	लखीसराय	30
3	नवादा	30
4	सीवान	30
5	शेखपुरा	30
6	जमुई	30
7	बाँका	30
8	सुपौल	30
9	मधेपुरा	30
10	अरवल	30
11	सीतामढ़ी	30
	योग –	330

(ख) भौतिक लक्ष्य का निर्धारण (विशेष अंगीभूत योजना)

(क) कम्फेड बिहार पटना स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित प्रशिक्षण

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सदस्यों की संख्या)
1	छपरा	2
2	पटना	3
3	नालंदा	4
4	लखीसराय	2
5	मधुबनी	2
6	मुंगेर	2
7	बाँका	3
8	सीतामढ़ी	2
9	औरंगाबाद	2
10	अरवल	3
	योग –	24

(ख) कम्फेड बिहार पटना स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में समिति के सचिवों का संबंधित प्रशिक्षण

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सदस्यों की संख्या)
1	छपरा	3
2	लखीसराय	4
3	मधेपुरा	3
4	सुपौल	3
5	बाँका	4
6	औरंगाबाद	2
7	अरवल	3
8	नवादा	4
9	सीवान	4
10	शेखपुरा	3
11	जमुई	3
	योग –	36

****

(5) आदर्श डेयरी ग्राम की योजना

1 –योजना का उद्देश्य –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पाँच गांव को एक समूह बना कर उसे स्वच्छ, सुन्दर, सुविधयुक्त तथा समृद्ध ग्राम के रूप में विकसित करना है। आर्द । डेयरी ग्राम में कृशि पर आधारित अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त गव्य व्यवसाय को प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जायेगा। आदर्श ग्राम में विशेश रूप से समिति सह सामुदायिक भवन का निर्माण कृत्रिम गर्भाधान सह–प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना इत्यादि कार्य सम्मपन कराया जायेगा।

2– समिति का चयन एवं पात्रता –

संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा अपने जिला से संबद्ध दुग्ध संघ/ डेरी इकाई से समन्वय से स्थापित कर करेगा। डेरी ग्राम का चयन वैसे समिति में किया जायेगां जो मिल्क रूट पर अवस्थित हो तथा जहाँ आस–पास के पाँच गाँव में 500 ली0 प्रति दिन से अधिक दूध का संग्रहण हो रहा हो एवं वहाँ पर विद्युत आपूर्त्ति उपलब्ध हो साथ ही वहाँ के ग्रामीण /सदस्य इस योजना के लिए कम से कम 3 कट्ठा भूमि दान में देने के लिए तैयार हो।

3– योजना का क्रियान्वयन एवं प्रक्रिया –

इस योजना का क्रियान्वयन जिला गव्य विकास पदाधिकारी/दूध संघ /डेरी इकाई द्वारा किया जायेगा।

इस योजना अन्तर्गत भवन निर्माण का कार्य, कार्य विभाग के स्थानीय अभियन्ता /कम्फेड के अभियंत्रण कोशांग से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त कर कराया जायेगा। योजना अन्तर्गत उपकरणों /सामग्रियों का क्रय संबन्धित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा विभाग या कम्फेड/ दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर अथवा भौतिक रूप से संबद्ध दूध संघ/डेरी इकाई के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए प्रारम्भ में ही अपना इन्डेंट संबद्ध दूध संघ/डेरी इकाई को देगें जो बिहार वित्तीय नियमावली के तहत् उपकरणों /सामग्रियों का क्रय कर उपलब्ध करायेंगे।

आदर्श डेरी ग्राम की स्थापना होने से इन ग्राम के आस–पास के ग्रामों में पशुओं के स्वास्थ्य एवं नश्ल सुधार, उचित प्रबंधन की सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध होगी जिससे सदस्य के दुधारू मवेशी के दूग्ध उत्पादकता में वृद्धि होगी साथ ही उत्पादित दूध की बिक्री का उचित दर पर विपणन की सुनिश्चित व्यवस्था सुलभ होगी। इस कार्यक्रम से पशुपालकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सबल होगी।

4– वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य –

चालू वित्तीय वर्ष 2008– 09 में इस योजना के लिए आव यक राशि का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है। इस प्रकार प्रति इकाई आदर्श डेयरी ग्राम स्थापना के लिए रु0 15.1985 लाख की दर से सामान्य योजना अन्तर्गत कुल 2 आदर्श डेयरी ग्राम की स्थापना के लिए कुल रु0 30.397 लाख तथा विशेश अंगीभूत योजना अन्तर्गत एक आदर्श डेयरी ग्राम की स्थापना के लिए रु0 15.1985 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

5 योजना की वित्तीय रूप रेखा

कमांक	मद का नाम	अनुमानित राशि(रु0 में)
1	आदर्श डेयरी ग्राम में समिति–सह–सामुदायिक भवन का निर्माण (1000 वर्ग फीट) जलापूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था (सोलर प्लेट एवं बैट्री के साथ)	5,00,000
2	वल्क मिल्क कुलर (1000 लीटर क्षमता) की स्थापना डी0जी0सेट सहित	9,00,000
3	कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राथमिक उपचार से संबंधित साज–सज्जा उपकरण– 1– ब्रीडिंग क्रेट रु0 5200.00 2– एल0एन0 2 कन्टेनर– क) बी0ए0–35 रू0 23600.00 ख) बी0ए0 3 रु0 9600.00	43000.00

	3– प्राथमिक उपचार कीट एवं एस0एन0 2 के लिए कार्यकारी पूॅजी रु 2500.00 4– अन्य सामग्री (ए0आई0 गन, सीथ, फॉरसेप, गमबूट, स्ट्रा इत्यादि– रु0 2000.00	
4	प्रशिक्षण– कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राथमिक उपचार से सबंधित 40 दिनों का प्रशिक्षण, राज्य से बाहर स्थित एन0डी0डी0बी0 प्रशिक्षण संस्थान सिलीगुडी में कराने के लिये प्रति सदस्य रु0 9000/– के दर से एक सदस्यों के लिए–	9000.00
5	इलेक्ट्रॉनिक मिल्को टेस्टर का क्रय प्रति इकाई रु0 28000/– की दर से	28000.00
6	दूध जॉच उपकरण, स्टेशनरी सहित प्रति सेट रु0 7200/– के दर से कुल 1 सेट के लिए–	7200,00
7	स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन (40 ली0 क्षमता) प्रति कैन रु0 3265/– के दर से 10 कैन के लिए–	32,650

कुल योग– रु0 1519850.00

(पन्द्रह लाख उन्नीस हजार आठ सौ पचास) मात्र

इस प्रकार सामान्य योजनाअन्तर्गत दो इकाई आदर्श डेरी ग्राम की स्थापना के लिए कुल अनुमानित व्यय की राशि – 2x1519850.00=रु0 3039700/– (रु0 तीस लाख उन्नचालीस हजार सात सौ) मात्र

6 आदर्श डेरी ग्राम योजना के लिए भौतिक लक्ष्य

समान्य योजना

क्रमांक	जिला का नाम	आदर्श डेरी ग्राम की संख्या
1	बाँका	1
2	सीतामढ़ी	1
	योग	2

विशेश अंगीभूत योजना

क्रमांक	जिला का नाम	आदर्श डेरी ग्राम की संख्या
1	नालंदा	1
	योग	1

****

(6.) हरा चारा प्रत्यक्षण की योजना

1. **योजना का उद्देश्य** :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों के बीच दुधारू पशुओं के लिए विभिन्न मौसम में हरा चारा उगाने के बारे में जागरूकता पैदा कर विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है। हरा चारा उत्पादित कर दुधारू पशुओं को खिलाने से न सिर्फ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि पशुपालकों द्वारा दुग्ध उत्पादन लागत व्यय में कमी लायी जा सकती है। परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जायेगा।

2. **लाभान्वित का चयन** :– दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के वैसे इच्छुक सदस्य जिनके पास कम से कम 1/4 एकड़ उपजाउ भूखंड उपलब्ध हो एवं जहाँ सिंचाई की सुविधा इनके द्वारा उपलब्ध कराया जा सके, उनका चयन हरा चारा प्रत्यक्षण की योजना के लिए किया जायेगा। चयनित सदस्य के प्रत्येक प्लॉट में रबी मौसम के लिए वरसीम एवं जई तथा खरीफ/ग्रीष्म मौसम के लिये सरगम सुडान/ एम0 पी0 चेरी एवं मकई (अफ्रीकन टॉल) नामक चारा का प्रत्यक्षण किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन वैसे क्षेत्रों में प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा जहाँ पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति गटित एवं कार्यरत है तथा पूर्व में इन समितियों में प्रत्यक्षण का कार्य नहीं कराया गया है अथवा पूर्व में जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया गया हें।

3–योजना का कार्यान्वयन

इस योजना का क्रियान्वयन स्वीकृत लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित जिला गव्य विकास पदा0 , दुग्ध संघ के प्रबन्ध निदेशक, डेयरी इकाई के मुख्य कार्यकारी द्वारा किया जायेगा। हरा चारा प्रत्यक्षण हेतु विभिन मौसमों के लिय हरा चारा बीज, उर्वरक, डिस्प्ले बोर्ड, प्रचार प्रसार हेतु पम्पलेट /लिफ्लेट, फोटो ग्राफी आदि के लिये वितरण की व्यवस्था अनुदान के रूप में विभाग की ओर से उपलब्ध कराये जाने की योजना है। चालू वित्तीय वर्ष 2008– 09 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक राशि का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध निर्धारित है। प्रति प्लॉट (1/4 एकड़) के लिए कुल रु0 1340(एक हजार तीन सौ चालीस रु0 मात्र) की दर से कुल 1044 प्लॉट के लिये रु01398960 (तेरह लाख अनठानवे हजार नौ सौ साठ) मात्र व्यय पर हरा चार प्रत्यक्षण की योजना को क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

4 वित्तीय रूप रेखा

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित व्यय (रु0 में)
	एक प्लॉट 1/4 एकड़ में हरा चारा प्रत्यक्षण के लिये अनुमानित व्यय	
1	**<u>रब्बी मौसम के लिये बीज</u>**	
(i)	ब्रसीम – 1/8 एकड़ में 2 किलोग्राम @ 110	220.00
(ii)	जई – 1/8 एकड़ में 4 किलोग्राम @ 25	100.00
2	**<u>ग्रीष्म मौसम के लिये बीज</u>**	
(i)	सरगम सूडान/एम0पी0 चेरी 1/8 एकड़ में 2 किलोग्राम @ 41	82.00
(ii)	मक्का (अफ्रीकन टॉल) 1/8 एकड़ में 4 किलोग्राम @ 22	88.00
3.	**<u>उर्वरक</u>**	
(i)	यूरिया 50 किलोग्राम @ 7	350.00
(ii)	एन0 पी0 के0 /डी0 ए0 पी0 30 किलोग्राम @ 10	300.00
4.	**<u>प्रचार –प्रसार</u>** डिस्पले बोर्ड, पम्पलेट एवं लिफ्लेट्स , फोटो ग्राफी आदि	200.00
	कुल योग :–	1340.00

कुल 1044 प्लॉटों में हरा चारा प्रत्यक्षण हेतु
अनुमानित व्यय @ 1340 /- 1144 x 1340 = 1398960.00
(रुपये तेरह लाख अनठानवे हजार नौ सौ साठ) मात्र।

5 भौतिक लक्ष्य का निर्धारण

क्रमांक	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य(प्लॉट की संख्या)
1	नवादा	30
2	लखीसराय	25
3	मधेपुरा	30
4	सुपौल	30
5	छपरा	30
6	सिवान	30
7	जमुई	30
8	शेखपुरा	25
9	अरवल	20
10	बॉका	30
11	पटना	30
12	नालन्दा	30
13	मुजफफरपुर	25
14	वैशाली	27
15	बेगुसराय	27
16	दरभंगा	30
17	सीतामढी	30
18	समस्तीपुर	30
19	शिवहर	20
20	गोपालगंज	30
21	भोजपुर	25
22	बक्सर	25
23	कैमूर	25
24	रोहतास	25
25	औरंगाबाद	30
26	गया	30
27	ज्हानाबाद	30
28	भागलपुर	30
29	मुंगेर	25
30	खगड़िया	30
31	सहरसा	25
32	पूर्णियॉ	30
33	अररिया	20
34	कटिहार	25
35	किशनगंज	20
36	मधुबनी	30
37	पश्चिम चम्पारण	30
38	पूर्वी चम्पारण	30
	योग	1044

****

(7.) दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को कृत्रिम गर्भाधान कीट उपलब्ध कराने की योजना

1 –योजना का उद्देश्य– इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध समिति के अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवको को कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्त्ता के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम के तहत् समिति के सदस्यों के दुधारू मवेशियों को दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि ला कर आर्थिक रूप से सबल करना है।

2– समितियों का चयन एवं पात्रता– ऐसी समितियों जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति के हो का चयन जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा अपने जिला के भौतिक रुप से सम्बद्ध दुग्ध संध/डेयरी इकाई से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा, ताकि कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिये तरल नाईट्रोजन तथा फ्रोजेन सीमेन स्ट्रॉ की आपूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो तथा उपयोग में लाये जाने वाले फ्रोजन सीमेन स्ट्रॉ हर हाल में श्रेणी 'ए' स्पर्म स्टेशन का हो।

कृत्रिम गर्भाधान की स्थापना मिल्क रुट पर अवस्थित वैसे समितियों में किया जायेगा, जो 7–10 समितियों के मध्य स्थित हों जिस समिति में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति के हो तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्त्ता अनूसूचित जाति का बेरोजगार युवक हो और जिन्हें कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हों अथवा जिन्हें निकट भविश्य में हीं उन्हें प्रशिक्षित कराने की योजना हो ।

3– योजना का क्रियान्वयन एवं क्रय की प्रक्रिया – इस योजना का कार्यान्वयन गव्य विकास निदेशालय/दुग्ध संघों/डेरी इकाईयों द्वारा कराया जायेगा।

इस योजना अन्तर्गत सामग्रियों एवं उपकरणों का क्रय किया जाना है। जिला स्तर पर क्रय समिति गठित नहीं रहने के कारण जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा उपकरणों/सामग्रियों का क्रय विभाग या कम्फेड/दुग्ध संध द्वारा अनुमेादित दर पर अथवा अपने जिला के भौतिक रुप से सम्बद्ध दुग्ध संध/डेयरी इकाई के माध्यम से किया जायेगा । इसके लिये वे प्रारम्भ में ही अपना इण्डेंट सम्बद्ध दुग्ध संध/डेरी इकाई को देगें, जो बिहार वित्तीय नियमावली के तहत् उपकरणों/सामग्रियों का क्रय कर उपलब्ध करायेंगे। चयनित अर्हता प्राप्त समितियों को इस भार्त्त के साथ उपकरण/सामग्री की आपर्ति की जायेगी की वे इसे हमेशा उपयोग में लायेगें।

निरीक्षण के क्रम में यदि यह पाया गया कि कोई समिति इसका उपयोग नहीं कर रहे हों तो जिला गव्य विकास पदाधिकारी इन समितियों से उपकरण वापस लेकर दूसरे अर्हता प्राप्त समितियों को उपलब्ध करा देगें ।

चयनित समिति अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित बेरोजगार युवक को उपकरण एवं सामग्री इस भात्ता के साथ उपलब्ध करायेंगेंकि वे अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी सदस्यों के मवेशियों का कृत्रिम गर्भाधान समिति द्वारा निर्धारित दर पर करेंगें ।

4– वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य–

चालू वित्तीय वर्श 08–09 में इस योजना के लिये आवश्यक राशि का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है। इस प्रकार कुल 24 केन्द्र पर कृत्रिम गर्भाधान कीट उपलबध कराने के लिये कुल रु0 997500/– (नौ लाख सनतान्वे हजार पाँच सौ) मात्र की लागत व्यय पर योजना के कियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

.

5 योजना की वित्तीय रूप रेखा

क्रमांक	विवरणी	अनुमानित लागत व्यय(रुपये में)
1	वी0ए0–35 कायो केन दर रु0 23600 प्रति	
2	वी0ए0–3 कायो केन दर रु0 9600 प्रति	
3	कृत्रिम गर्भाधान करने का उपकरण दर रु0 2000 प्रति	
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के लिये फर्निचर दर रु0 1300 प्रति	
	योग– रु0 36500 प्रति इस प्रकार कुल 24 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के लिये अनुमानित व्यय– 24X36500	8,76,000
5	टी0ए0 55 परिवहन कन्टेनर 20500/–रुपये की दर से 3 अदद के लिये 3X20500 (प्रत्येक 8 समिति के लिए एक–एक)	61500
6	जे0 12–30000/– रुपये की दर से 2 अदद के लिये – 2X30000 (प्रत्येक 10 समिति के लिए एक–एक)	60000
	कुल योग	997500

(रुपये नौ लाख सनतान्वे हजार पाँच सौ)मात्र।

6 भौतिक रूप रेखा

क्रमांक	दुग्ध संघ/डेरी इकाई जिससे जिला का सम्बद्धता है	जिला का नाम	समिति की संख्या
1	वै ाल पाटलीपुत्रा संध	छपरा	2
		पटना	3
		नालन्दा	3
2	बरौनी दुग्ध संध	लखीसराय	2
3	मिथिला दुग्ध संघ	मधुबनी	2
4	भागलपुर दुग्ध संघ	मुंगेर	2
		बॉका	3
5	तिरहुत दुग्ध संघ	सीतामढ़ी	3
6	गया डेरी	औरंगाबाद	2
		अरवल	2
		योग –	**24**

****

(8.) दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में इलेक्ट्रॉनिक मिल्कों टेस्टर उपलब्ध कराने की योजना।

1 –योजना का उद्देश्य –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समिति स्तर पर अधिक मात्रा में संग्रहित किये जा रहे दूध की त्वरित जॉच कर इसकी गुणवता को अक्षुण्ण रखना तथा दूध की सही–सही जॉच के प्श्चात् दूध उत्पादकों को उचित मूल्य का भुगतान करना है।

2– समिति का चयन एवं पात्रता–

संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा दुग्ध संध/डेरी इकाई से समन्वय स्थापित कर समिति का चयण किया जायेगा । गव्य विकास के क्षेत्र में राज्य के सभी जिले समान रुप से विकसित नहीं रहने के कारण समितियों के चयण में विभिन्न जिलों के लिये अलग–2 श्रेणी में अर्हताऍ निर्धारित की गई है, जो निम्न प्रकार है–

श्रेणी सं0	दुग्ध संग्रहण की मात्रा	सदस्यों की
ए0	200 ली0/दिन	100
बी0	100 ली0/दिन	70
सी0	60 ली0/दिन	50

उपरोक्त श्रेणी के विभिन्न जिलों के नाम

ए0– पटना, नालन्दा, भोजपुर, वै ााली, मुजफफ्रपुर बेगुसराय, समस्तीपुर एवं खगड़िया

बी0– सारण,गोपालगंज, पि चम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, लखीसराय, मुगेंर एवं भागलपुर ।

सी0– अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, जमूई, बॉका, भोखपुरा,पूर्णियॉ, कटिहार, कि ानंगंज एवं अररिया

3– योजना का कियान्वयन एव कय की प्रकिया –

इस योजना का क्रियान्वयन गव्य विकास निदेशालय/दुग्ध संघों /डेयरी इकाईयों द्वारा कराया जायेगा। किसी जिलें में लक्ष्य के विरूद्ध अधिक समिति अगर निर्धारित अर्हता में योग्यता रखती है, तो उस स्थिति में प्रारम्भ में अपेक्षाकृत अधिक दूध संग्रहण एवं अधिक सदस्यों वाली समितियों को मिल्को टेस्टर से पहले आच्छादित किया जायेगा।

योजनातर्गत उपकरणों/ सामग्रियों का कय संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा विभागीय

अथवा कम्फेड/दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर अथवा अपने जिला के भौतिक रुप से सम्बद्ध दुग्ध संध/डेयरी इकाई के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिये वे प्रारम्भ में ही अपना इण्डेंट सम्बद्ध दुग्ध संध/डेरी इकाई को देगें, जो बिहार वित्तीय नियमावली के तहत् उपकरणों/सामग्रियों का क्रय कर उपलब्ध करायें। योग्यता क्रमानुसार अर्हता प्राप्त समितियों को इस भार्त्त के साथ उपकरण/सामग्री की आपर्ति की जायेगी की वे इसे हमेशा उपयोग में लायेगें । निरीक्षण के क्रम में यदि यह पाया गया कि कोई समिति इसका उपयोग नहीं कर रहे हों तो जिला गव्य विकास पदाधिकारी इन समितियों से उपकरण वापस लेकर दूसरे अर्हता प्राप्त समितियों को उपलब्ध करा देगें ।

दुग्ध समिति में मिल्कों टेस्टर उपलब्ध होने के पश्चात् सदस्यों द्वारा आपूर्त्ति किये जा रहे दूध के गुणवत्ता की जाँच त्वरित गति से मिल्कों टेस्टर द्वारा किया जायेगा तथा जाँच के पश्चात् उचित मूल्य का भुगतान सदस्यों को किया जायेगा।

4– वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य –

चालू वित्तीय वर्ष 2008– 09 में इस योजना के लिए आवश्यक राशि का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है। इस प्रकार प्रति इकाई इलेक्ट्रॉनिक मिल्कों टेस्टर क्रय के लिए रु0 28,000 /– की दर से कुल 57 मिल्को टेस्टर क्रय के लिए कुल 1596000/– (रुपये पन्द्रह लाख छियानवे हजार) मात्र व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

5 वित्तीय रूप रेखा

क्रमांक	विवरणी	प्रति इकाई अनुमानित लागत व्यय(रुपये में)
1	एक इलेक्ट्रॉनिक मिल्कों टेस्टर क्रय के लिए कुल अनुमानित व्यय –	28000

इस प्रकार कुल 57 इलेक्ट्रॉनिक मिल्को टेस्टर क्रय
हेतु अनुमानित लागत – 57 X28000 = 15 96000/–
(पन्द्रह लाख छियानवे हजार)मात्र

6 भौतिक लक्ष्य का निर्धारण

क्रमांक	जिला का नाम	समिति की संख्या
1	छपरा	3
2	लखीसराय	3
3	न्वादा	4
4	सीवान	2
5	शेखपुरा	2
6	जमूई	2
7	बॉका	3
8	सुपौल	2
9	मधेपुरा	2
10	टरवल	2
11	पटना	4
12	नालन्दा	5
13	पूणियॉ	3
14	कटिहार	3
15	मधुबनी	2
16	किशनगंज	3
17	अररिया	2
18	औरंगाबाद	3
19	मुंगेर	2
20	गेपालगंज	2
21	सीतामढ़ी	3
	योग–	57

****